In the Court of Addl. Sessions Judge- I,

Vaishali at Hajipur,

Bidupur P.S. Case no.-585/2020

NDPS(Gr.no.)-101/2020

U/S-20/21/22/23 NDPS Act.

Order Dated:-21-02-2023

21-02-2023

दिनांक 28.12.2020 से इस वाद मे काराधीन अभियुक्त मो0 तालीब की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री हरिशंकर कुमार की ओर से जमानत आवेदन दाखिल किया गया। जिस जमानत आवेदन की प्रति विद्वान विशेष लोक अभियोजक श्री प्रहलाद चौरसिया को प्राप्त है।

संक्षेप में प्रस्तुत वाद की प्राथमिकी इस प्रकार से है कि सूचक पु.अ. नि. धनंजय कुमार पाण्डेय, घटना के समय थानायक्ष बिदुपुर के पद पर कार्यरत थे, जिसे दिनांक 27.12.2020 को गुप्त सूचना मिला कि हाजीपुर की तरफ से दो मोटरसाईकिल R15 & Gixer which registration no. BR31AC3558 & BR31AK9793, है, प्रत्येक पर दो–दो व्यक्ति सवार होकर चरस लेकर तस्करी हेतु बिदुपुर बाजार होते बिदुपुर स्टेशन की ओर जाने के लिए निकले है। इस सूचना पर वरीय पदाधिकारी को सूचित किया गया और सनहा दर्ज किया गया। शसस्त्र दल के साथ उक्त स्थान पर पहुॅचकर वाहन चेकिग करना प्रारम्भ किया तो कुछ ही देर मे उक्त दोनो वाहन आते दिखा जिसे रूकने का इशारा किया तो चकमा देकर भागने का प्रयास किया जिसे बल के सहयोग से पकड़ लिया गया। पूछने पर अपना अपना नाम मो0 साहिल, अभिषेक कुमार, मो0 तालीब एवं कुन्दन कुमार यादव बताया। विधिवत तलासी नियमो का पालन करते हुये चारो के वदन की तलासी लिया गया तो मोटरसाईकिल आर15 पर सवार चालक मो0 साहिल एवं पिछे बैठे अभिषेक तथा जिक्सर मोटरसाईकिल पर सवार चालक मो0 तालीब एवं पिछे बैठे कुन्दन कुमार यादव सभी के सर्ट एवं जैकेट के अंदर छुपा कर रखा हुआ सफेद प्लास्टिक मे लपेटा हुआ एक एक पैकेट पाया। जिसके संबंध मे पुछने पर सभी ने बताया कि चरस है जिसकी तस्करी के लिए निकले है। वजन करने पर प्रत्येक बंडल का वजन 500–500 ग्राम पाया गया। कुल बरामद चरस का वजन 02 किलो पाया गया। दोनो मोटरसाईकिल एवं बरामद चरस को विधिवत जप्त किया गया।

Web copy not Official
ADJ VAISHALI

In the Court of Addl. Sessions Judge- I,

Vaishali at Hajipur,

Bidupur P.S. Case no.-585/2020

NDPS(Gr.no.)-101/2020

U/S-20/21/22/23 NDPS Act.

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक बिल्कुल निर्दोष है और उसे इस वाद मे झुठा फसाया गया है। आवेदक इस वाद मे दिनांक 28.12.2020 से काराधीन है। आवेदक का जमानत आवेदन पूर्व मे खारिज किया गया है जिसके बाद आवेदक माननीय उच्च न्यायालय मे अपना जमानत आवेदन दाखिल किया था जिसे माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा खारिज किया गया हैं। आवेदक द्वारा पुनः माननीय उच्च न्यायालय, पटना मे जमानत आवेदन दाखिल किया जिसे वाद वापसी के आधार पर निष्पादित करते हुये निम्न न्यायालय को एक समय देते हुये वाद का निष्पादन करने का निर्देश दिया गया तथा इस अवधि मे निष्पादन नही होने की स्थिति मे पुनः जमानत आवेदन दाखिल करने की सुविधा प्रदान किया गया। जिस आलोक मे आवेदक द्वारा पुनः प्रस्तुत जमानत आवेदन दाखिल किया गया है। आवेदक को इस वाद मे झूठा फसाया गया है तथा आवेदक काफी लंबे अवधि से काराधीन है। अतः श्रीमान् से अनुरोध है कि आवेदक को जमानत देने की कृपा की जाए।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया तथा कथन किया गया कि आवेदक को घटना स्थल पर अन्य तीन अपराधी साथी के साथ गिरफ्तार किया गया है तथा तलासी के दौरान आवेदक एवं अन्य तीन सह अभियुक्तो के पास से 500–500 ग्राम अवैध चरस, जिसका कुल मात्रा 02 किलो बरामद किया गया है। आवेदक का जमानत आवेदन पूर्व मे खारिज किया गया है तथा माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा भी जमानत आवेदन खारिज किया गया है। अतः श्रीमान से अनुरोध है कि आवेदक की ओर से दाखिल जमानत आवेदन खारिज किया जाये।

जमानत आवेदन पर उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना, कांड दैनिकी, प्राथमिकी तथा अभिलेख का अवलोकन किया। प्राथमिकी के अनुसार गुप्त सूचना के आधार पर आवेदक को अन्य तीन सह अभियुक्तो के साथ गिरफ्तार किया गया तथा तलासी के दौरान आवेदक सहित तीनो सह अभियुक्तो के पास से 500–500 ग्राम अवैध चरस बरामद किया गया है। बरामद

In the Court of Addl. Sessions Judge- I,

Vaishali at Hajipur,

Bidupur P.S. Case no.-585/2020

NDPS(Gr.no.)-101/2020

U/S-20/21/22/23 NDPS Act.

अवैध चरस की कुल मात्रा 02 किलो है। वाद दैनिकी की कंडिका 17 मे अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, सदर हाजीपुर द्वारा घटना को आवेदक के विरूद्ध सत्य पाया गया है। प्रस्तुत वाद मे आरोप पत्र सं0–173/2021 दिनांक 30.03.2021 को आवेदक एवं अन्य सह अभियुक्तो के विरूद्ध एन.डी.पी.एस. की धारा 08/20/21/22/23 के अंतर्गत समर्पित किया गया है तथा अन्य बिन्दुओ पर पूरक अनुसंधान जारी रखा गया है। आवेदक का जमानत आवेदन पूर्व मे श्रीमान् जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर द्वारा दिनांक 09.02.2021 को खारिज किया गया है तथा इस न्यायालय द्वारा दिनांक 15.03.2022 को खारिज किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा कि0मि0–29418/2021 मे दिनांक 23.12.2021 को आवेदक का जमानत आवेदन खारिज किया गया है। पुनः आवेदक की ओर से दाखिल आवेदन कि0मि0–24276/2022 मे दिनांक 18.05.2022 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा Dismissed as withdrawn करते हुये इस न्यायालय को निर्देशित किया गया कि प्रस्तुत वाद का निष्पादन नौ माह के भीतर करे तथा आवेदक को निर्देश दिया गया कि समय अवधि मे वाद का निष्पादन नही होने की स्थिति मे पुनः जमानत आवेदन इस न्यायालय मे दाखिल कर सकता है। प्रस्तुत वाद मे दिनांक 08.02.2022 को आवेदक एवं अन्य सह अभियुक्तो के विरूद्ध एन.डी.पी.एस. की धारा 20(b)(ii)(c),29,23(c) के अंतर्गत आरोप का गठन किया गया है। अभिलेख साक्ष्य हेतु लंबित है। दिनांक 06.07.2022 को सह अभियुक्त अभिषेक कुमार की उम्र के निर्धारण के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा दाखिल आवेदन पर आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया, जिसके पश्चात् दिनांक 06.07.2022 को ही दो साक्षियो की हाजरी दिया गया, वाद चूकि आदेश हेतु था जिस कारण दोनो साक्षियो का साक्ष्य नही हो सका। दिनांक 14.07.2022 को सह अभियुक्त अभिषेक कुमार का पृथक वाद जे0जे0बी0 वैशाली, हाजीपुर भेजा गया। अभिलेख साक्ष्य हेतु लंबित है, विद्वान विशेष लोक अभियोजक, एन.डी.पी.एस., वैशाली, हाजीपुर को साक्षी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है। अभिलेख पर एफ.एस.एल. मुजफ्फरपुर का जॉच रिपोर्ट की

In the Court of Addl. Sessions Judge- I,

Vaishali at Hajipur,

Bidupur P.S. Case no.-585/2020

NDPS(Gr.no.)-101/2020

U/S-20/21/22/23 NDPS Act.

छायाप्रति उपलब्ध है, जिसमे बरामद पदार्थ को चरस होना अंकित किया गया है। ऐसी स्थिति मे उपरोक्त सभी तथ्यो एवं परिस्थितियो के आलोक मे आवेदक को जमानत की सुविधा दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

फलस्वरूप आवेदक मो0 तालीब की ओर से दाखिल जमानत आवेदन **खारिज** किया जाता है।

(Deepak Kumar Singh)
Addl. Sessions Judge-I
Vaishali at Hajipur
21-02-2023

Web Copy Not Official
ADJ1 VAISHALI